

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -361/2023

अनवान : -

1. कृष्ण पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. श्योचन्द पुत्र उदी जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. रानी पत्नी मंगतु जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. रोहिताश पुत्र मंगतु जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. मोहित पुत्र मंगतु जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. श्रवण कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. संदीप कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
8. मैनावती पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
9. विजय सिंह पुत्र कृष्ण भागीरथ जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
10. लीलावती पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
11. गुडी पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
12. बाधो पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
13. सुमित्रा पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
14. निराणी पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 26.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 15 जेएसएन-ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता स0 114/114 की कुल 8.8550 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 14 जेएसन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता स0 109/98 की कुल 6.3000 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर चुका है तथा प्रतिवादीया स0 3 भी उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया स0 8 जो की प्रतिवादी स0 6 व 7 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा लेना चाहती है



तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया स0 10 जो की वादी की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है प्रतिवादीया स0 11 ता 14 जो की वादी की बहिने है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। इस प्रकार प्रतिवादीया स0 2, 3, 8, 10 ता 14 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है। बाद हक त्याग रोही मौजा 15 जेएसएन-ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता स0 11/114 की कुल 8.8550 हैक्ट भूमि के प0न0 345/405(26) के किला न0 16 ता 25 की 10 बीघा, प0 न0 346/405(25) के किला न0 20 की 0.253 हैक्ट, 19 की 19 की 2 बिस्वा कुल 11.02 बीघा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 9 बहिब काबिज है तथा प0न0 346/405(25) के किला न0 19 की 18 बिस्वा, 21 व 22 की .506 हैक्ट, प0न0 345/406(29) के किला न0 1 ता 5 की 5 बीघा प0न0 346/406(30) के किला न0 1, 2 की 0.506 हैक्ट, 9, 10 की 0.506 हैक्ट कुल 11.18 बीघा भूमि पर प्रतिवादी स0 4 व 5 बहिब काबिज है तथा प0न0 345/406(29) के किला न0 6 ता 15 की 10 बीघा प0न0 346/406(30) के किला न0 11, 12 की 0.506 हैक्ट कुल 12 बीघा भूमि पर प्रतिवादी स0 6 व 7 बहिब काबिज है तथा रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता स0 109/98 की कुल 6.3000 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी स0 1 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा 15 जेएसएन-ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता स0 114/114 की कुल 8.8550 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता स0 109/98 की कुल 6.3000 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज

राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं० 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण सं० 1 ता 14 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण सं० 1 ता 14 को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादीगण सं० 2, 3, 8, 10 ता 14 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण सं० 1 ता 14 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

#### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 जेएसएन-ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता सं० 114/114 की कुल 8.8550 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किया जाकर प०न० 345/405(26) के किला न० 16 ता 25 की 10 बीघा, प० न० 346/405(25) के किला न० 20 की 0.253 हैक्ट, 19 की 2 बिस्वा कुल 11.02 बीघा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी सं० 9 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है तथा प०न० 346/405(25) के किला न० 19 की 18 बिस्वा, 21 व 22 की .506 हैक्ट, प०न० 345/406(29) के किला न० 1 ता 5 की 5 बीघा प०न० 346/406(30) के किला न० 1, 2 की 0.506 हैक्ट, 9, 10 की 0.506 हैक्ट कुल 11.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी सं० 4 व 5 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है तथा प०न० 345/406(29) के किला न० 6 ता 15 की 10 बीघा प०न० 346/406(30) के किला न० 11, 12 की 0.506 हैक्ट कुल 12 बीघा भूमि का प्रतिवादी सं० 6 व 7 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 14 जेएसन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता सं० 109/98 की कुल 6.3000 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर  
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023  
कैम्प कोर्ट-बिरकाली

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -361/2023

अनवान : -

1. कृष्ण पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. श्योचन्द पुत्र उदी जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. रानी पत्नी मंगतु जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
4. रोहिताश पुत्र मंगतु जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. मोहित पुत्र मंगतु जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
6. श्रवण कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. संदीप कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
8. मैनावती पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
9. विजय सिंह पुत्र कृष्ण भागीरथ जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
10. लीलावती पुत्री कृष्ण जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
11. गुडी पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
12. बाधो पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
13. सुमित्रा पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
14. निराणी पुत्री श्योचन्द जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 361 सन 2023 निर्णय दिनांक 26.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा 15 जेएसएन-ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता स0 114/114 की कुल 8.8550 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 345/405(26) के किला न0 16 ता 25 की 10 बीघा, प0 न0 346/405(25) के किला न0 20 की 0.253 हैक्ट, 19 की 2 बिस्वा कुल 11.02 बीघा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 9 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प0न0 346/405(25) के किला न0 19 की 18 बिस्वा, 21 व 22 की .506 हैक्ट, प0न0 345/406(29) के किला न0 1 ता 5 की 5 बीघा प0न0 346/406(30) के किला न0 1, 2 की 0.506 हैक्ट, 9, 10 की 0.506 हैक्ट कुल 11.18 बीघा भूमि का प्रतिवादी स0 4 व 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प0न0 345/406(29) के किला न0 6 ता 15 की 10 बीघा प0न0 346/406(30) के किला न0 11, 12

28

की 0.506 हैक्ट कुल 12 बीघा भूमि का प्रतिवादी स0 6 व 7 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 14 जेएसन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता स0 109/98 की कुल 6.3000 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-बिरकाली